

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शांता डंगी

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 212 आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या : 67 / 22

जीसीएमएस : 2022 / 262

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। मूल वाद का आज निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

